

Biofertilizer Manufacturing
जैव उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र
(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-D दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- v) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एषोसियेशन की प्रति।
- vi) विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्त पत्र।
- vii) प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता कृषि स्नातक अथवा रसायन स्नातक है या नहीं।
- viii) नियुक्त पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- ix) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा लीज एग्रीमेन्ट।
- x) प्रयोगशाला सुविधा संबंधी प्रमाण पत्र।

Chemical/Biofertilizer Marketing State
राज्य स्तरीय थोक/जैव उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- IV). स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v). प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- VI). शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- VII). निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- VIII). यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
- IX) विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- X. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्त पत्र।
- XI). जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
- XII). कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।
- XIII). गुणवता विश्लेषण प्रतिवेदन-

Chemical Fertilizer Manufacturing
एन०पी०के०/सुक्ष्म पोषक तत्व विनिर्माता पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र- D दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो
3. पंजीयन शुल्क रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- 4- शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :-
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
1. निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
2. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
3. FCO-1985 की धारा-21-ए में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने का शपथ-पत्र।
4. प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता प्रमाण पत्र।
5. रसायनज्ञ के नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
7. पर्यावरण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
8. जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।
9. उर्वरक पैकेट पर अंकित सूचनाओं को दर्शाता 18"×4" साईज का फोटो-

Renewal(Manufacturing/Marketing)

प्राधिकार पत्र का नवीकरण

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र—A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v) प्रपत्र—"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- vi) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- vii) निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- viii) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
- ix) विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- x) विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
- xi) जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
- xii) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।
- xiii) यदि आयातक है तो : (क) आयातक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति। (ग) आयातित उर्वरक का विश्लेषण प्रतिवेदन।
- xiv) प्रतिष्ठान द्वारा अंतिम एक वर्ष में किये गये उर्वरक व्यापार का ब्यौरा। बिक्री पंजी की जि०कृ०पदा० से अभिप्रमाणित छायाप्रति)।
- xv) यदि विलंब से समर्पित हो तो विलंब शुल्क के चालान की मूल प्रति।
- xvi) फार्म—J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन।

Chemical Fertilizer Marketing District
राज्य स्तरीय थोक उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र

(जाँच –पत्र)

1. प्रपत्र–A₁ दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
3. पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. स्रोत : प्रपत्र “ओ” की मूल प्रति।
5. प्रपत्र–“ओ” निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
7. निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
8. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
9. विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
10. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
11. जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
12. कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।
13. यदि आयातक है तो : (क) आयातक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति। (ग) आयातित उर्वरक का विश्लेषण प्रतिवेदन।
14. फार्म–J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन।

VI

राज्य स्तरीय थोक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र का संशोधन

Amendment
Clen/Ar.0

(जाँच-पत्र)

1. संशोधन हेतु आवेदन-पत्र।
2. संशोधन शुल्क-रु० 150/-का कोषागार चालान की मूल प्रति।
3. मूल प्राधिकार पत्र।
4. संशोधन का प्रकार :-
 - i). गोदाम प्रविष्टि हेतु :- गोदाम का पुरा पता (ख) लीज एग्रीमेन्ट
 - ii). अन्य निर्माता/थोक विक्रेता के उर्वरकों के विपणन की प्रविष्टि :-
(क) स्रोत-प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति एवं निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) उर्वरक का गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन।
 - iii). नाम परिवर्तन :- कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिलिपि।
 - iv). कार्यालय/बिक्री केन्द्र का परिवर्तन :- (क) लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।

जिला स्तर पर थोक उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v) प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- vi) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- vii) जिला कृषि पदाधिकारी/उर्वरक निरीक्षण का जाँच प्रतिवेदन।
- viii) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।
- ix) प्रतिष्ठान द्वारा अंतिम एक वर्ष में किये गये उर्वरक व्यापार का ब्यौरा। बिक्री पंजी की जि०कृ०पदा० से अभिप्रमाणित छायाप्रति)।
- x) यदि विलंब से समर्पित हो तो विलंब शुल्क के चालान की मूल प्रति।

जिला स्तर पर थोक उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र

(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र-A₁ दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
3. पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
5. प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
7. जिला कृषि पदाधिकारी/उर्वरक निरीक्षण का जाँच प्रतिवेदन।
8. कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

जिला स्तरीय खुदरा उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र

(जाँच –पत्र)

1. प्रपत्र–A₁ दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
3. पंजीयन शुल्क : रू० 1250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. स्रोत : प्रपत्र “ओ” की मूल प्रति।
5. प्रपत्र–“ओ” निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :-
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
7. जिला कृषि पदाधिकारी /उर्वरक निरीक्षक का स्थल जाँच प्रतिवेदन।
8. कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

स्थल जाँच प्रतिवेदन का प्रपत्र

1. जाँच करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम:—
 2. जाँच करने की तिथि:—.....
 3. प्रतिष्ठान का नाम जिसका जाँच किया जा रहा है:—.....
 4. क्षेत्रीय विपणन प्रबंधक का नाम:—
- पिता का नाम:—.....
- ग्राम:—.....
- पो0:—.....

प्रतिष्ठान के गोदाम का विवरण:—

(क) गोदाम के भवन मालिक का नाम:—.....

पिता का नाम:—.....

ग्राम:— पो0:—.....

प्रखंड:—..... थाना:—.....

जिला:—.....

(ख) गोदाम का क्षेत्रफल:—.....

(ग) गोदाम का फर्श (पक्का / कच्चा):—.....

(घ) गोदाम का छत:—.....

(ङ) गोदाम की चौहद्दी:—.....

उत्तर:—.....

दक्षिण:—.....

पूरब:—.....

पश्चिम:—.....

गोदाम का पता:—

प्रतिष्ठान के कार्यालय का विवरण:—

(क) कार्यालय के भवन मालिक का नाम:—.....

पिता का नाम:—.....

ग्राम:—..... पो0:—.....

थाना:—..... प्रखंड:—.....

जिला:—.....

कार्यालय का पता:—.....

(ख) कार्यालय का क्षेत्रफल:—.....

(ग) कार्यालय का फर्श:—

(घ) कार्यालय का छत:—.....

(ङ.) कार्यालय की चौहदी:—

उत्तर:—.....

दक्षिण:—.....

पूरब:—.....

पश्चिम:—.....

जाँच पदाधिकारी का मंतव्य :-
.....का गोदाम एवं कार्यालय स्थल का निरीक्षण किया
तथा व्यापार के लिए उपयुक्त पाया। अतः जैव उर्वरक विपणन प्राधिकार-पत्र हेतु
अनुशंसा की जाती है, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी करते हों।

जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

कार्बनिक उर्वरक (वर्मी कम्पोस्ट) के विपणन प्राधिकार पत्र

(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र-A1 दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का :
 - (क) प्राधिकार पत्र -
 - (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो-
3. पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति-
4. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :-
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
5. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एशोसियेशन की प्रति।
6. जैव अथवा कार्बनिक उर्वरक का वार्षिक उत्पादन क्षमता 3000 मे० टन या उससे अधिक होना चाहिए।
7. स्रोत-ओ प्रमाण पत्र
8. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
9. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन लगान रसीद
10. आयकर पैन संख्या प्रमाण पत्र-
11. गुणवत्ता विश्लेषण प्रमाण पत्र-
12. 3000 मे०टन वार्षिक उत्पादन क्षमता संबंधी जिला कृषि पदाधिकारी का प्रतिवेदन-

कार्बनिक उर्वरक (वर्मी कम्पोस्ट) के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र-D दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का :
 - (क) प्राधिकार पत्र -
 - (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो-
3. पंजीयन शुल्क : रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि:-
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
5. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एशोसियेशन की प्रति।
6. जैव अथवा कार्बनिक उर्वरक का वार्षिक उत्पादन क्षमता 3000 मे० टन या उससे अधिक होना चाहिए।
7. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
8. परियोजना स्वीकृति संबंधी प्रमाण पत्र-
9. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन लगान रसीद-

परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति एवं उत्पादन प्राधिकार निर्गत हेतु चेक लिस्ट
(सम्मुख बॉक्स में हाँ अथवा नहीं लिखें)
(सभी छायाप्रति एवं फोटो स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए)

1. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता है
2. आवेदक का फोटोग्राफ है
3. आवेदक का प्रकार पदकपअपकनंसध ब्व.वचमतंजपअमध त्तवचतपमजवतल थपतउध ब्वउचंदपमेध थंतउमत प्दजमतमेज
ळतवनचध छळट
4. उत्पादन इकाई के स्थल का विस्तृत ब्यौरा— (प) खेसरा नं०— (पप) चौहद्दी
(पपप) भू—धारिता प्रमाण—पत्र/अद्यतन जमीन का रसीद
5. आवेदन कितनी क्षमता के उत्पादन इकाई के लिए है? (प) 3000मे०टन प्रतिवर्ष
(पप) 2000 मे०टन प्रतिवर्ष (पपप) 1000 मे०टन प्रतिवर्ष
6. आवेदक अगर बैंक ऋण लेकर परियोजना कार्य पूरा करेंगे (प) उनके द्वारा परियोजना लागत
का 10 प्रतिषत स्वयं खर्च दिखाया गया (पप) बैंक का सहमति पत्र है
7. अगर बिना बैंक ऋण का परियोजना स्वयं पूरा किया जाएगा तो उस स्थिति में आवेदक द्वारा
घोषणा पत्र दिया गया है
8. टू डंजमतपंस के श्रोत का विवरण है
9. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने हेतु संरचना—

(क) पिट विधि—

- i. 3000मे०टन उत्पादन क्षमता के लिए— 30000 घन फुट
- ii. 2000मे०टन उत्पादन क्षमता के लिए— 20000 घन फुट
- iii. 1000मे०टन उत्पादन क्षमता के लिए— 10000 घन फुट

(ख) ढेर विधि—

- I. 3000मे०टन उत्पादन क्षमता के लिए— 20000 वर्ग फुट
- II. 2000मे०टन उत्पादन क्षमता के लिए— 15000 वर्ग फुट
- III. 1000मे०टन उत्पादन क्षमता के लिए— 10000 वर्ग फुट

(ग) गोदाम का प्रस्ताव है

(घ) गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला का प्रस्ताव

(घ) कार्यालय का प्रस्ताव है

- (ड.) संरचना की कुल लागत—
- (प) 50.00 लाख या अधिक
- ;पप) 32.00 लाख या अधिक
- ;पपपद्ध 16.00 लाख या अधिक
10. परियोजना स्थल का रोड मैप स्केच है
11. आवेदक का पता/फोटो पहचान-पत्र (वोटर आई०डी०, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
12. आवेदक का पैन कार्ड
13. प्रपत्र-क एवं प्रपत्र-11दो-दो प्रतियाँ।
14. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का :
 (क) प्राधिकार-पत्र—
 (ख) स्व-अभिप्रमाणित छः फोटो—
15. पंजीयन शुल्क: रू० 3,250.00 का कोषागार चालान की मूल प्रति।
16. शपथ-पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो।
 (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलंबित नहीं हो।
 (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
17. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एषोसियेशन की प्रति। यदि पार्टनरशिप फार्म है तो पार्टनरशिप डीड की प्रति।
18. शपथ-पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 (क) आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रस्ताव में वर्णित सभी सूचनायें सही हैं।
 (ख) यदि कोई सूचना अथवा समर्पित अभिलेख असत्य पाया गया तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
 (ग) स्वीकृति मिलने पर मैं परियोजना पूरा करूँगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं परियोजना अधूरा छोड़ूँगा तो मेरे द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
19. जांच पत्र की दो प्रतियाँ।

प्राप्ति/त्रुटि निराकरण रसीद

मैं.....पदनाम..... कार्यालय.....
ने श्री.....पिता/पति का नाम.....ग्राम.....
पोस्ट.....थाना.....प्रखंड.....जिला—.....सेमे०टन
 उत्पादन क्षमता के व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई की स्वीकृति एवं उत्पादन तथा विपणन प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए आवेदन प्राप्त किया। आवेदन चेक लिस्ट के अनुसार सही एवं पूर्ण है।
 आवेदन का पंजी क्रमांक.....प्राप्ति की तिथि..... है। आवेदन में चेक लिस्ट के क्रमांक.....
के अनुसार त्रुटि/कमी पायी गयी है। कृपया इस त्रुटि/कमी का निवारण कर संबंधित अभिलेख दिनांक—.....
तक उपलब्ध करावें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
 नोट:—जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्राधिकृत प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मि
 का हस्ताक्षर एवं तिथि